ज्ञापांक – 4624(E) दिनांक – 6.07.18

पथ निर्माण विभाग

दिनांक–06/07/18 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, छपरा के अन्तर्गत हरिहरनाथ (गजग्राह चौक) से पहलेजाघाट पथ के कि0मी0 0 से 9 एवं भरपुरा देवी मंदीर से पहलेजाघाट पथ के 0.805 कि0मी0 यानि कुल 9.805 कि0मी0 में पथ अनुरक्षण कार्य सहित पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2016–17 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

(ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

(iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–1879(अनु०) दिनांक 05.06.2018 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	पथ प्रमंडल, छपरा के अन्तर्गत हरिहरनाथ (गजग्राह चौक) से पहलेजाघाट पथ के कि0मी0 0 से 9 एवं भरपुरा देवी मंदीर से पहलेजाघाट पथ के 0.805 कि0मी0 यानि कुल 9.805 कि0मी0 में पथ अनुरक्षण कार्य सहित पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2016–17
2.2	एकरारनामा संख्या	:	40/CMBD/2016-17
2.3	एकरारनामा की राशि	:	₹13,90,49,813.00
2.4	संवेदक का नाम	:	Krishabh Nirman Pvt. Ltd.
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :–	:	10.03.2017
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :–	:	09.09.2017
2.7	मूल कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	:	
2.8	मूल कार्य हेतु मांगी गयी समयवृद्धि की		08.07.2018

3. **समयवृद्धि का कारणः–**

(i) Scope of Work में परिवर्त्तन :– एकरारनामा में दिए गए 06 माह का समय विभागीय पत्रांक 15408 दिनांक 01.12.2008 के अनुरूप नहीं था।

Scope of Work में परिवर्त्तन के चलते उक्त एकरारनामा के अन्तर्गत 9.00 कि0मी0 के स्थान पर 9.80 कि0मी0 पथ का चौड़ीकरण 3.75 मी0 से 5.50 मी0 के स्थान पर 3.75 मी0 से 7.00 मी0 कराया गया हे। विभागीय पत्रांक–15408 दिनांक 01.12.2008 में 3.37 मी0 से 7.00 मी0 चौड़ीकरण हेतु कोई सूत्र नहीं है, किन्तु 5.50 मी0 से 7.00 मी0 पथ के चौड़ीकरण हेतु उक्त विभागीय पत्र के अनुसार

14 माह का समय लगना अपेक्षित है। जबकि विवेचित पथ में 3.75मी0 से 7.00 मी0 चौड़ीकरण किया गया है तथा इसमें PQC work भी शामिल है, जिसके लिये और अधिक समय की आवश्यकता पड़ती है।

(ii) पथ के 7.00 मी0 चौड़ीकरण हेतु Utility Shifting का कार्य भी करना पड़ा है, जिसके लिए पूर्व से कोई समय का प्रावधान एकरारनामा में नहीं है।

(iii)पथ का अधिकांुश अंश सघन आवादी से गुजरता है, पूर्व से अतिक्रमण था, जिसे अतिक्रमण मुक्त कराने में लगा4तार प्रशासन की मदद ली गई तथा कार्य भी लगातार बाधित होता रहा है।

संवेदक द्वारा दिनांक 08.07.2018 तक कार्य पूर्ण करने का शपथ पत्र समर्पित किया गया है तथा कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता द्वारा दिनांक 08.07.2018 तक समयवृद्धि हेतु अनुशंसा प्राप्त है।

4. **तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसाः–**

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 08.07.2018 तक समयवृद्धि हेतु अनुशंसा की जाती है। चूँकि विभाग द्वारा Change of Scope के कारण कार्य की मद मात्रा में वृद्धि हो रही है इसलिए संवेदक को विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–95 दिनांक 21.04.2015 के कंडिका 4.3 के आलोक में विस्तारित अवधि के लिए विस्तारित अवधि में प्रभावी Price Index के अनुसार विस्तारित अवधि के लिए भी CMBD की कंडिका C10CA के अधीन Price Neutralization देने की अनुशंसा की जाती है।

5. **विभागीय निविदा समिति का निर्णय :–**

5.1 मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–1879(अनु०) दिनांक 05.06.2018 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त पथ प्रमंडल, छपरा के अन्तर्गत हरिहरनाथ (गजग्राह चौक) से पहलेजाघाट पथ के कि0मी0 0 से 9 एवं भरपुरा देवी मंदीर से पहलेजाघाट पथ के 0.805 कि0मी0 यानि कुल 9.805 कि0मी0 में पथ अनुरक्षण कार्य सहित पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2016–17 (एकरारनामा सं0–40/CMBD/2016-17) हेतु दिनांक दिनांक 08.07.2018 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को CMBD Clause C10CA के तहत् विस्तारित अवधि में यदि Price Index/Rate अधिक हो तो Price Escalation देय होगा, परन्तु यदि Price Index/Rate कम हो तो तदनुसार राशि की कटौती कर ली जायेगी। इसके अतिरिक्त विस्तारित अवधि हेतु संवेदक का अन्य कोई दावा मान्य नहीं होगा।

06/07/18 (रामावतार साह) मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग पथ निर्माण विभाग, पटना	06/07/18 (रजनीश कुमार) उप सचिव –सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार पथ निर्माण विभाग, पटना ।	6/7/18 (लक्ष्मी नारायण दास) अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त सह–विशेष सचिव पथ निर्माण विभाग, पटना ।	6/7/18 (अमृत लाल मीणा) प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग, पटना

ज्ञापांक–प्र०–7/विविध (स०वृ०)–02–148/2018– 4624(E) पटना, दिनांक 6/7/18

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/7/18
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ABS